

पचा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0न0 478 / 2025

अभिषेक पि0 महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी  
अनुराग जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

1. माया पत्नी महेन्द्र कुमार
2. संतोष पत्नी अनुराग जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी
3. महेन्द्र पुत्र श्रीराम जिला हनुमानगढ़।
4. अंजू पुत्री महेन्द्र कुमार पत्नी संदीप जाति जाट निवासी मानक थेहडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दिनांक 26/11/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रोहीताश चाहर व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- (क) वादी सं0 1 अभिषेक पुत्र महेन्द्र कुमार को प्राप्त कृषि भूमि-चक नं0 12 आर. डबल्यू.डी. के खाता 38/58 के प0न0 227/383 मु0 20 किलानं0 24,25, 16/2/.216, 17/2/.216, प0न0 228/383 मु0 21 किला न0 20/3/.186, 21/2/.227 कुल 1.351 है0 कमाण्ड चक नं0 13 आर. डबल्यू डी खाता सं0 76/100 की कुल 0.711 है0 चक भुरानपुरा बारानी के खाता सं0 49/41 में अंकित कुल 10.579 है0 कृषि भूमि में से माया के 5870/ 10679 हिस्सा में से 1518/10679 हिस्सा


(ख) वादी सं0 2 अनुराग पुत्र महेन्द्र कुमार को प्राप्त कृषि भूमि: - चक नं0 12 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 38/58 के प0न0 229/383 मु0 22 किलानं0 17/2/.052, 18/2/.060, 19/2/.060, 20/2/.061, 21,22,23, 24/1/.248, 24/2/.005 है0, प0न0 229/384 मु0 23 किलानं0 2/1/.247 है0, 3, 6/3/.082, 7/3/.083, 8 कुल 2.163 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादीया सं0 1 माया पत्नी महेन्द्र कुमार को प्राप्त कृषि भूमि: - चक भुरानपुरा बारानी के खाता संख्या 49/41 में अंकित कुल 10.679 है0 में से 2834/10679 हिस्सा

(घ) प्रतिवादीया सं0 2 संतोष पत्नी अनुराग को प्राप्त कृषि भूमि: - चक भुरानपुरा बारानी खाता सं0 49/41 में अंकित कुल 10.679 है0 में से माया के 5870/10679 हिस्सा में

से 1518/10679 हिस्सा के वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वचक नं० 12 आर. डबल्यू.डी. के खाता 38 / 58 व चक नं० 13 आर. डबल्यू.डी खाता सं० 76/100 में से प्रतिवादीया सं० 1 माया का नाम कलमजन व चक भुरानपुरा बारानी के खाता सं० 49/41 में से प्रतिवादीया सं० 1 माया का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/11/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।